

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 489/2013/अलवर
मैसर्स श्री सिद्ध री-रोलिंग मिल्स
भिवाडी

अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री क्रान्ति मेहता

अभिभाषक

श्री आर.के. अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

अपलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 10.05.2017


निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 119/आरवैट/2011-12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 02.11.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-तृतीय, भिवाडी (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,82,366/- व कर रु. 9,412/- आरोपित कर कुल रु. 2,91,778/- की मांग सृजित कर आदेश दिनांक 22.09.2011 पारित किया है, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 20.09.2011 को वाहन संख्या एच.आर.-55एम-9818 को भिवाडी में राठीबास चेक पोस्ट के पास राज्य के बाहर एस.एस.पत्ती ले जाते हुए चेक किया। वक्त चेकिंग परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने बिल्टी संख्या 485 दिनांक 21.09.2011 एवं इनवाइस नम्बर 031 दिनांक 21.09.2011 व पैकिंग स्लिप दिनांक 21.09.2011 आदि प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि दस्तावेजों के साथ घोषण पत्र वैट-49 संलग्न नहीं है तथा बिल व बिल्टी में दिनांक 21.09.2011 अंकित है जबकि माल की चेकिंग दिनांक 20.09.2011 को की गई। उक्त प्रकार के तथ्य होने के कारण करापवंचन के संदेह में अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करते हुए परिवहनित माल को धारा 76(5)(ए) में निरुद्ध किया गया। उक्त प्रकार से बनाये गये अभियोग को सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने दस्तावेजों के अवलोकन में पाया कि परिवहनित माल अधिसूचित माल की वस्तुओं की श्रेणी में नहीं होने के कारण इसे परिवहन पर विधिक घोषण पत्र वैट-49 संलग्न किये जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रस्तुत दस्तावेज

में चेकिंग दिनांक से आगे की दिनांक अंकित होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा यह मानते हुये कि व्यवहारी द्वारा कर चोरी की नियत से पुनः प्रयोग करने के उद्देश्य से दस्तावेज आगे की तारीख अंकित कर बनाये गये हैं। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों से माल को राज्य के बाहर ले जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(2) के तहत नोटिस दिया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी के प्रतिनिधि ने जवाब व शपथ पत्र पेश कर जाहिर किया कि बिजनेस मैनेजर कार्य से थका होने के कारण उसके द्वारा माल के दस्तावेज पर गलती से दिनांक 20.09.2011 के स्थान पर दिनांक 21.09.2011 अंकित कर दी गयी है। उक्त त्रुटि लिपिकिय भूल होने के कारण नोटिस में प्रस्तावित कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया। सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को सन्तोषजनक नहीं मानते हुए उसे अस्वीकार करते हुये प्रकरण में व्यवहारी द्वारा चेकिंग दिनांक के आगे की दिनांक के दस्तावेजों से माल का परिवहन राज्य के बाहर किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये परिवहनित माल एस. एस.पत्ती कीमतन रुपये 9,41,220/- पर 1 प्रतिशत की दर से कर रुपये 9,412/- एवं अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति रुपये 2,82,366/- आरोपित की जाकर कुल मांग राशि रुपये 2,91,778/- कायम की गई, जिसे उक्त अपील में विवादित किया है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वैट इनवाइस संख्या-031 के द्वारा पंजीकृत व्यवहारी मैसर्स बालाजी इम्पैक्स दिल्ली को 13,446 कि. ग्रा. एस.एस.पत्ती कीमतन रुपये 9,50,632/- का विक्रय सी फार्म के विरुद्ध किया जाकर नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से सीएसटी रुपये 9,412/- चार्ज किया गया था। उनका कथन है कि अपीलार्थी के बिजनेस मैनेजर द्वारा उक्त वैट इनवाइस संख्या-031 दिनांक 20.09.2011 की रात्रि में लगभग 10:30 बजे बनाया गया था। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी के बिजनेस मैनेजर ने काम की थकावट से उक्त माल के इनवाइस पर सद्भाविक गलती से दिनांक 20.09.2011 के स्थान पर दिनांक 21.09.2011 अंकित कर दी गई, जो कि एक लिपिकिय त्रुटि है। उक्त त्रुटि के संबंध में बिजनेस मैनेजर द्वारा 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र पेश किया जिसमें लिपिकिय त्रुटि से आगे की दिनांक अंकित हो गई है, जिसको उसने जानबूझकर नहीं किया है। इसलिये उनका करापवंचन का कोई दोषी मनोभाव नहीं है। इसी प्रकार माल की बिल्टी पर भी दिनांक 21.09.2011 के बारे में बताया गया कि वैट इनवाइस में अंकित विवरण के आधार पर ट्रांसपोर्टर द्वारा बिल्टी तैयार की गई है जिसमें भी करापवंचन की मंशा नहीं थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी



द्वारा नोटिस जारी करने पर दिनांक 20.09.2011 के स्थान पर 21.09.2011 लिखे जाने के संबंध में सभी तथ्यों से अवगत करा दिया गया था, किन्तु उन्होंने उस पर ध्यान दिये बिना 76(6) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। उनका कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट-49 की आवश्यकता नहीं है यह तथ्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया था फिर भी उन्होंने परिवहनित माल के साथ संलग्न बिल व बिल्टी पर गलत तिथि अंकित होने का दूसरा बिन्दु उठाते हुए धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की। उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ संलग्न दस्तावेजों में सम्पूर्ण विगत अंकित थी, किन्तु सद्भाविक गलती से आगे की दिनांक अंकित होने से करापवंचन को दोषी मनोभाव प्रकट नहीं होता है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 101 STC PAGE 203, 37 TUD PAGE 203, 15 TUD 115 (RHC), एवं 120 STC PAGE 212 (RHC) को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुये प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने के निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल की जांच दिनांक 20.09.2011 को करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये बिल व बिल्टी में चेकिंग दिनांक से आगे की दिनांक 21.09.2011 अंकित होने से करापवंचन की दोषी मानसिकता से माल का परिवहन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रुपये 2,82,366/- एवं कर रुपये 9,412/- आरोपित करते हुये कुल रुपये 2,91,777/- की मांग सृजित की गई है, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे यथावत रखा गया।


पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधिनियम की धारा 76(2) के अन्तर्गत विहित दस्तावेज यथा बिल व बिल्टी आदि वक्त जांच कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच कर उन्हें कूटरचित अथवा फर्जी प्रमाणित नहीं किया गया है। वक्त जांच प्रस्तुत किये गये बिल में अंकित माल एवं परिवहनित माल में कोई अन्तर होना प्रमाणित नहीं किया गया है। बिल जारी करने वाली फर्म पंजीकृत है और भिवाडी के पास ही परिवहनित माल की जांच की गई, कर निर्धारण अधिकारी चाहते ने बिल की तारीख के सम्बन्ध में फर्म से जांच दिनांक 21.09.2011 को

✓

कराई गई, जिसमें नियमित बिल बुक में वही बिल पाया गया जो वक्त जांच प्रस्तुत किया गया था। उसमें अंकित किसी भी विगत के सम्बन्ध में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि सदभाविक त्रुटि से दिनांक 20.09.2011 के स्थान पर 21.09.2011 लिख दी गई, जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर शास्ति आरोपित करना उचित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिल में 1 प्रतिशत दर से सीएसटी चार्ज किया हुआ था, जिससे भी करापवचन की संभावना धूमिल होती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित 101 एस टी सी 302(इलाहाबाद उच्च न्यायालय) सिंह ट्रेडर्स बनाम कमिश्नर आफ सेल्स टैक्स, लखनऊ में प्रतिपादित मत के अनुसार करापवचन की मानसिकता (intention) प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट दिनांक 21.09.2011 में भी कर निर्धारण अधिकारी ने मिथ्या या कूटरचित साबित नहीं किया है। व्यवसायी ने सद्भावी भूल के कारण बिल में दिनांक 20.09.2011 के स्थान पर 21.09.2011 अंकित की है, इससे अधिनियम की धारा 76 (2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि अधिनियम की धारा 76 (2)(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित वांछित दस्तावेज यथा, बिल एवं बिल्टी वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी के पास मौजूद थे। इसलिए बिना किसी ठोस दस्तावेजीय साक्ष्य के अभाव में Assumption and presumption के आधार पर अभियोग बनाया गया जाना उचित नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य